| हुक्म | | हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/7/23 | पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 9 द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन में वे त्रुटियां जिन पर पक्षकार सहमत है दुरूस्त की जा सकती है। जबकि प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ही प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड, मौके का गंभीर विवाद विधमान है जिनका निस्तारण प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण के पिता नाथूलाल व अप्रार्थी क्रम 1 के पिता व पति रामनिवास के तथा अप्रार्थी क्रम 13 के अन्तरिती प्रभुलाल पुत्र शंकरलाल खटीक के मध्य उप जिला कलेक्टर कोटा के समक्ष वाद संख्या 89/1991 दिनांक 30/01/1993 विवादित भूमि के सम्बन्ध में निस्तारित किया जा चुका है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र रेस जुडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की। प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आपत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है। विस्तृत सुनवाई कर ही प्रार्थनापत्र का निस्तारण संभव है तथा कथित प्रकरण के पक्षकार विषयवस्तु व रिलीफ में समानता नहीं है। अन्त में अप्रार्थीगण का आधारहीन प्रार्थनापत्र खारिज करने की प्रार्थना की।<br><br>उभय पक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक मनन किया गया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2023 (2) आरआरटी 799 रामकटोरी बनाम गीताबाई का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड, मौके का गंभीर विवाद विधमान है तथा उपजिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/01/1993 भी विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित किया हुआ है। धारा 136 के अवलोकन से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना | |

बनाम

मुकदमा नं. .......................... ऑनलाईन नं. ........

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व हुक्म की |
|---|---|
| स्वीकार करते है तो ऐसी गलतियों को सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिभाषा से परे होने तथा विवादित भूमि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपजिला कलेक्टर कोटा द्वारा पूर्व में दिनांक 30/01/1993 को निर्णय हो चुका होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>इटावा | |